प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक** 25 **मार्च, 2025**

विषयः "मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना" के दिशा–निर्देशों में नए प्रावधान/दिशा–निर्देश सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1563/XI/16/56(54)/2016 दिनांक 17 जून, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गठित महिला स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में सुधार, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें स्वावलम्बी बनाने एवं पलायन न्यूनीकरण के उद्देश्य से **"महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना"** प्रारम्भ करते हुये, योजनान्तर्गत निम्नलिखित घटक सम्मिलित किये गये–

1) महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह का आजीविका संवर्द्धन;
2) सामुदायिक निवेश निधि;
3) इन्दिरा अम्मा कैन्टीन;
4) नवीन तथा पुनर्गठित स्वयं सहायता समूह को सीड कैपिटल की व्यवस्था;
5) उद्यमिता में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को 05 प्रतिशत का बोनस।

2– योजना के दिशा–निर्देशों/घटकों में समय की मांग एवं व्यवहारिकता के दृष्टिगत समय–समय पर संशोधन भी किये गये। तद्क्रम में पुनः उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों/ग्राम संगठनों एवं कलस्टर संगठनों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से **"मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना"** में कतिपय नए प्रावधान/घटक सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– अतः उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना"** के दिशा–निर्देशों/घटकों में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

1) जनपदों में आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं, कार्यक्रमों एवं महिला सम्मान कार्यक्रमों हेतु योजनान्तर्गत रू0 2.30 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करना।

<u>योजना का उद्देश्यः–</u>

- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित करने के लिए जनपदों में "नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम" आयोजित किए जाएंगे।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को अपने विचार व्यक्त करने का मंच मिलेगा, आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, और उनके कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण को समर्थन मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप उनका आजीविका संवर्धन भी होगा।

<u>वित्तीय सहायता/प्रावधान एवं संचालन प्रक्रिया</u>:–

राज्य के प्रत्येक जनपद को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निम्नानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगीः–

(1) 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जनपद : अधिकतम 25 लाख रुपये

(2) 5 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले जनपद : अधिकतम 20 लाख रुपये

(3) 3 लाख से 5 लाख जनसंख्या वाले जनपद : अधिकतम 15 लाख रुपये

(4) 1 लाख से 3 लाख जनसंख्या वाले जनपद : अधिकतम 10 लाख रुपये

- उक्त धनराशि जिलाधिकारी के निर्वतन पर रखी जायेगी।
- जनपद के संसाधनों एवं जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये तथा महिलाओं की भागीदारी, आत्मसम्मान में वृद्धि, और कौशल विकास आदि को बढ़ाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा एवं प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।
- उक्त कार्यक्रम की योजना एवं आयोजन के लिये मुख्य विकास अधिकारी द्वारा एक 'समन्वयक' नियुक्त किया जायेगा।
- जनपद/यूएसआरएलएम द्वारा योजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों/उपनियमों/शासनादेशों/अधिप्राप्ति नियमावली का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2) **क्लस्टर स्तरीय संगठन (सी.एल.एफ.) में महिलाओं की व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु रू0 15.40 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करना।**

<u>योजना का उद्देश्य</u>:–

इस योजना का उद्देश्य क्लस्टर स्तरीय संगठनों को उद्यम स्थापना, विपणन एवं सतत आजीविका हेतु प्रोत्साहित कर, उनके व्यवसाय को विस्तार प्रदान करना है ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें और 'लखपति दीदी' की अवधारणा फलीभूत हो सके।

<u>वित्तीय सहायता/प्रावधान एवं संचालन प्रक्रिया</u>:–

क्लस्टर स्तरीय संगठन (CLF) को व्यवसायिक गतिविधियों हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निम्न चरणों में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगीः–

- प्रथम चरण– एक वित्तीय वर्ष में रू0 10.00 लाख तक का व्यवसाय करने वाले क्लस्टर स्तरीय संगठन (CLF) – अधिकतम रू0 1.00 लाख।
- द्वितीय चरण– एक वित्तीय वर्ष में रू0 20.00 लाख तक का व्यवसाय करने वाले क्लस्टर स्तरीय संगठन (CLF) – अधिकतम रू0 2.00 लाख।
- तृतीय चरण– एक वित्तीय वर्ष में रू0 20.00 लाख से अधिक का व्यवसाय और रू0 2.00 लाख से अधिक का लाभ अर्जित करने वाले क्लस्टर स्तरीय संगठन (CLF) – अधिकतम रू0 2.00 लाख।

यदि किसी क्लस्टर संगठन द्वारा उक्त चरणों में से तृतीय चरण पूर्ण किया गया हो तो उसे रू0 5.00 लाख तक की धनराशि आवंटित की जा सकेगी। इसी प्रकार यदि क्लस्टर संगठन द्वारा प्रथम व द्वितीय चरण के मानक एक साथ पूर्ण किये जाते हैं तो, उक्त क्लस्टर को रू0 3. 00 लाख की धनराशि आंवटित की जा सकेगी।

- जिन क्लस्टर संगठनों को पूर्व में उक्त योजना से लाभान्वित किया जा चुका है वे इसके लिये पात्र नहीं होगें।

- क्लस्टर संगठनों को तीन चरणों में धनराशि निर्गत की जायेगी। प्रत्येक चरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ और रिपोर्टों की समीक्षा की जाएगी।
- प्रावधानित धनराशि सीधे क्लस्टर के बैंक खातों में निर्गत की जाएगी।
- उक्त धनराशि निर्गत करने से पूर्व क्लस्टर स्तरीय संगठनों को प्रत्येक वर्ष में वार्षिक ऑडिट के पश्चात् व्यवसाय की वृद्धि, लाभ की रिपोर्ट और कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाएगा।
- सी0एल0एफ0 को खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में अपना आवेदन वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट एवं व्यवसायिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सी0एल0एफ0 से प्राप्त दस्तावेजों का अध्ययन एवं परीक्षण कर अनिवार्य रूप से सी0एल0एफ0 की बैंठक में प्रतिभाग कर सत्यापन करना होगा।
- खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से सी0एल0एफ0 की सत्यापित रिपोर्ट जिला मिशन प्रबन्धक को प्रेषित की जायेगी व जिला मिशन प्रबन्धक की संस्तुति के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- सी0एल0एफ0 द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग अपने व्यवसाय वृद्धि में रिवाल्विंग फण्ड के रूप में किया जायेगा।
- जनपद/यूएसआरएलएम द्वारा योजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों/उपनियमों/शासनादेशों/अधिप्राप्ति नियमावली का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3) **लखपति दीदी बनाये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना (RBI) के माध्यम से मार्केटिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एण्ड क्वालिटी कंट्रोल सेंटर हेतु अल्मोड़ा के हवालबाग एवं जनपद पौड़ी के कोटद्वार में स्थापित प्रत्येक सेंटर हेतु रू. 25.00 लाख की धनराशि प्रदान किया जाना।**

<u>योजना का उद्देश्य</u>:–

इस योजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024–25 में 60,000 महिलाओं को ''लखपति दीदी'' बनाने में सहयोग करना है, जिसके लिये मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना (पूर्व नाम रुरल बिजनस इन्क्यूबेटर) की सहायता से विपणन, उत्पाद विकास, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

महिलाओं की आर्थिकी एवं आजीविका में सुधार, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण होगा।

<u>वित्तीय सहायता/प्रावधान एवं संचालन प्रक्रिया</u>:–

वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता एवं सशक्तीकरण योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि में से इस घटक की पूर्ति हेतु कुल रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

- उक्त धनराशि केवल एक बार उपलब्ध करायी जायेगी।
- मार्केटिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एण्ड क्वालिटी कंट्रोल सेंटर हेतु जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड हवालबाग तथा जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोटद्वार में स्थापित आर.बी. आई. के प्रत्येक सेंटर हेतु रू0 25.00 लाख उपलब्ध कराया जायेगा।

- इसके अन्तर्गत समूहों को उत्पादों का विपणन एवं विकास, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और म. डंतामजपदह आदि संबंधित क्षेत्र का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- इसके अन्तर्गत अल्मोड़ा के हवालबाग और पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार स्थापित आर.बी. आई. केन्द्रों पर प्रोसेसिंग सेन्टर स्थापित किए जाएंगे।
- रुरल बिजनस इन्क्यूबेटर (RBI) द्वारा प्रोसेसिंग यूनिट के प्रस्ताव तैयार कर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला मिशन प्रबन्धक को प्रेषित किया जायेगा।
- जनपद स्तर पर प्रस्ताव का अध्ययन कर स्वीकृति हेतु मुख्य विकास अधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।
- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात ही प्रोसेसिंग यूनिट पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- प्रशिक्षण के प्रभाव, उत्पादों की गुणवत्ता और विपणन के परिणामों का मूल्यांकन किया जाएगा।
- महिलाओं द्वारा उत्पादित सामग्री की बिक्री और लाभ में वृद्धि को मापने के लिए मानक निर्धारित किए जाएंगे।
- जनपद/यूएसआरएलएम द्वारा योजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों/उपनियमों/शासनादेशों/अधिप्राप्ति नियमावली का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4) **डिजिटल एम.आई.एस. हेतु प्रथम चरण के 140 मॉडल क्लस्टर के 500 ई–बुक कीपरों को टेबलेट प्रदान किया जाना।**

<u>योजना का उद्देश्य</u>:–

राज्य में 140 मॉडल सीएलएफ (CLF) के 500 ग्राम संगठनों को डेटा संकलन के लिए प्रशिक्षित करना और ई–बुक कीपरों को टैबलेट प्रदान करना है। इससे LoKoS Profile Entry, Digital Aajeevika Register में डेटा एंट्री की प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाएगा और डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगी।

<u>वित्तीय सहायता/प्रावधान एवं संचालन प्रक्रिया</u>:–

वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता एवं सशक्तीकरण योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि में से इस घटक की पूर्ति हेतु कुल रू0 75.00 लाख (रूपये पिचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्रत्येक ई–बुक कीपर को अधिकतम रू0 15,000/– तक का टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा।

- प्रथम चरण में 500 ई–बुक कीपरों को टैबलेट संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- यू0एस0आर0एल0एम0 द्वारा प्रति मॉडल सी0एल0एफ0 3 से 4 ई–बुक कीपरों को टैबलेट प्रदान किया जायेगा।
- टैबलेट का उपयोग LoKoS, Profile Entry और Digital Aajeevika Register में डेटा एंट्री के लिए किया जाएगा।
- आवश्यक तकनीकी समर्थन और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। टैबलेट के उपयोग से डेटा संकलन और एंट्री में सुधार की निगरानी की जाएगी।
- ई–बुक किपरों की डिजिटल क्षमताओं में सुधार का मूल्यांकन किया जाएगा।

- समय की बचत और संसाधनों की कुशलता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- जनपद/यूएसआरएलएम द्वारा योजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों/उपनियमों/शासनादेशों/अधिप्राप्ति नियमावली का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5) **राष्ट्रीय स्तर के राज्य में आयोजित होने वाले 02 सरस मेलों के आयोजन हेतु मेचिंग ग्रान्ट के रूप में प्रति मेला रू0 11.12 लाख की धनराशि प्रदान किया जाना।**

<u>योजना का उद्देश्य</u>:–

योजना के इस घटक के अन्तर्गत राज्य में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के सरस मेलों का भव्य आयोजन किया जायेगा, जिससे राज्य की महिलाओं को अपने उत्पादों का विपणन करने हेतु व्यापक एवं बेहतर प्लेटफार्म मिलेगा और उनकी आजीविका एवं आर्थिकी में सुधार होगा।

<u>वित्तीय सहायता/प्रावधान एवं संचालन प्रक्रिया</u>:–

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता एवं सशक्तीकरण योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि में से प्रत्येक सरस मेला के लिये गये गैप फन्ड के रूप में कुल रू0 22.24 लाख (रूपये बाईस लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

- राज्य में एन0आर0एल0एम0 योजना के अन्तर्गत दो राष्ट्रीय सरस मेलों का आयोजन किया जाता है, जिस प्रकार से इन मेलों हेतु धनराशि की मांग की जाती है उसी प्रकार से इस योजना में भी वही प्रक्रिया अपनानी अनिवार्य होगी।
- महिलाओं के उत्पादों की प्रदर्शनी, बिक्री और प्रचार के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
- मेलों की सफलता का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें विक्रय आंकड़े, महिलाओं की भागीदारी और ग्राहकों की प्रतिक्रिया/फीडबैक शामिल होगी।
- महिलाओं की आजीविका में सुधार की निगरानी की जाएगी और उनके आर्थिक लाभ का मूल्यांकन किया जाएगा।
- जनपद/यूएसआरएलएम द्वारा योजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों/उपनियमों/शासनादेशों/अधिप्राप्ति नियमावली का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– 'मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना' के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये उपर्युक्त प्रावधानों/घटकों के संबंध में जनपद एवं यूएसआरएलएम द्वारा रिपोर्ट एवं ऑडिट के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जायेगी–

- प्रत्येक मेला/प्रशिक्षण/टैबलेट वितरण आदि गतिविधियों के पश्चात् अनिवार्य रूप से एक माह के भीतर आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं शासन को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें खर्च का विवरण, प्रशिक्षण/मेला/गतिविधि की सफलता एवं आउटकम और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ सम्मिलित होंगी।
- सभी व्यय/खर्चों का वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के दिशा–निर्देशों/शासनादेशों के आलोक में यथाप्रक्रिया ऑडिट किया जायेगा और व्ययित धनराशि के सापेक्ष प्राप्त परिणाम/आउटकम का आंकलन किया जायेगा।

- उक्त घटकों के अन्तर्गत व्ययियत/खर्च धनराशि के उपयोग की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं राज्य शासन को त्रैमासिक आधार पर प्रेषित करनी अनिवार्य होगी।
- उक्त योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि के व्यय का प्रभावी अनुश्रवण किया जायेगा तथा 02 वर्ष पश्चात योजना के Mid-Term Valuation की प्रभावी व्यवस्था की जायेगी, जिससे योजना का प्रभावी मूल्यांकन किया जा सके।
- वर्ष के अन्त में उक्त मद में व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0 संख्या–।/281844/2025 दिनांक 11.03.2025 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

इस आशय के पूर्व निर्गत शासनादेश/दिशा–निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्ते/प्रावधान यथावत रहेंगे।

भवदीया,

Signed by
Radhika Jha
Date: 24-03-2025 13:50:39

(राधिका झा)
सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौडी।
6. मुख्य परियोजना निदेशक, ग्रामोत्थान/REAP, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू.एस.आर.एल.एम., ग्राम्य विकास, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Anuradha Pal
Date: 25-03-2025 11:33:03

(अनुराधा पाल)
अपर सचिव